कार्यालय कलेक्टर, जिला–कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

क्र. / 1293 /भू–अर्जन/2022, कोरबा, दिनांक 01/02/2022

––:: अधिसूचना ::––

(भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 14 के अंतर्गत)

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के लिए कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–7 के अधीन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तारिख 04/03/2020 को किया गया था। जिसके पूर्व ग्राम सभा दिनांक 28/12/2018 एवं प्रथम समाजिक समाघात दिनांक 03/07/2019 को कार्यवाही हुआ था। जिसमें ग्राम वासियों के द्वारा सर्वसम्मती से सिचाई परियोजना का निर्माण कार्य के लिये भू–अर्जन के लिये प्रस्ताव पारित हो चुका है। क्योकि पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस (Covid–19) महामारी फैलने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया था जिसके रोक थाम हेतु पुरे प्रदेश में लाक डाउन किये जाने के फलस्वरूप भू–अर्जन प्रकरण प्राप्त आपत्तियों की निराकरण किये जाने में विलम्ब होने के कारण दिनांक 04/03/2021 तक प्रारंभिक अधिसूचना (धारा–11) नहीं किया जा सका अत्ऐव उक्त अधिनियम की धारा 14 में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार बारह मास वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है।

ग्राम –रंगबेल, प.ह.न.–60, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा छ.ग.						
भूमि का विवरण					धारा 12 प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का विवरण
जिला	तहसील	भूमि का प्रकार ग्राम/प.ह.न.	कुल ख.न.	कुल क्षेत्रफल (हे. में.)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	कटघोरा	रंगबेल/60	49	3.179	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, कोरबा	गंगदेई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(रानू साहू)
कलेक्टर,
जिला–कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा

कार्यालय कलेक्टर, जिला–कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

––:: प्रारंभिक अधिसूचना ::––

क्र. / 1294 /भू–अर्जन/2022, कोरबा, दिनांक 01 /02/2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम(6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है–

अनुसूची

भूमि का प्रकार						
जिला	तहसील	भूमि का प्रकार ग्राम/प.ह.न.	ख.न.	क्षेत्रफल (हे.में.)	धारा 12 प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	कटघोरा	रंगबेल/	कालम सलग्न (कुल खसरा नं. 47	कालम सलग्न (कुल रकबा 3.179हे.)	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, कोरबा	गंगदेई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण

ख.नं.	क्षेत्रफल	ख.नं.	क्षेत्रफल	ख.नं.	क्षेत्रफल	ख.नं.	क्षेत्रफल
4	5	4	5	4	5	4	5
101	0.040	127/1	0.057	694/2	0.181	781	0.061
96, 97	0.077	689	0.012	735/2	0.101	805	0.061
94/1, 95/1	0.049	127/2	0.053	733/2	0.020	803	0.101
88/2	0.032	692	0.101	700/1	0.036	779/2	0.040
81, 82, 83, 84	0.101	181/2, 183/2	0.129	700/2	0.040	778/1	0.049
137	0.057	182	0.121	701/1, 702/1	0.049	778/2	0.024
139/2	0.032	190/2	0.053	703, 704	0.125	780	0.061
139/3	0.028	732	0.121	707	0.061	782	0.049
139/1	0.032	690	0.101	737	0.081	783	0.089
131, 132, 133	0.081	698	0.061	734	0.040	784	0.032
136	0.024	735/1	0.061	731	0.053	812/1	0.162
129	0.061	687	0.101	779/1	0.081	**योग**	**3.179**

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयम् अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप मे किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से समाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला–कोरबा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(रानू साहू)
कलेक्टर,
जिला–कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

आर. माझी
प.ह.नं.–58,59,60
रा. नि. मं. – बिरदा
जिला–कोरबा (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा

नायब तहसीलदार
दीपका
जिला–कोरबा (छ.ग.